राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पुष्पा मिश्रा बनाम दुर्गा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	906/2017 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम मुंडोता में नियत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/05/2017 पारित करते हुये उभयपक्षों को ता-फैसला वाद स्थायी निषेधाज्ञा से विवादित भूमि खसरा नम्बर 1327, 1328, 1329, 1330 कुल किता 4 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम मुंडोता तहसील आमेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थीयां को दौराने बहस कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया, जिसका राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज है किन्तु अपीलार्थीयां को पक्षकार बनाये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो कानूनन निरस्तनीय है | इस सन्दर्भ में पत्रावली का मय विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी अवलोकन किये जाने से अपीलार्थीयां के कथन उचित प्रतीत होकर स्वीकार योग्य जाहिर होते है कि अपीलार्थीयां के विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार होने के उपरान्त भी उन्हें पक्षकार प्रकरण बनाये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | कानूनन भी किसी भी सहखातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसकी सहखाते की आराजी के स्वतन्त्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित नही किया जा सकता | इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण किये बगैर ही एवं प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का कोई विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत जाहिर नही होता है | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पुष्पा मिश्रा बनाम दुर्गा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	906/2017	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/05/217निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थीयां को पक्षकार प्रकरण समायोजित कर समस्त पक्षकारान की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर